

राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
दिनांक: 29.10.15
कमांक एफ20(1-87)निजभूस/पी.एफ.सी./2015/9757-9768


कार्यालय आदेश

इस विभाग के पत्रांक कमांक एफ20(1-87)निजभूस/आई.डब्ल्यू.एम.पी./2014-2015/5856-6030 दिनांक 9.5.2014 के द्वारा स्वीकृत जलग्रहण परियोजना प्रबन्धन हेतु वर्ष 2013-14 में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, चित्तौडगढ़ के प्रस्ताव के अनुसार चित्तौडगढ़ आई.डब्ल्यू.एम.पी.-24 परियोजनान्तर्गत निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


क्र.सं.	भारत सरकार/निदेशालय द्वारा जारी के.एस-एफ.एस. के अनुसार मैक्रो/माईक्रो के नम्बर	संशोधित किये गये मैक्रो/माईक्रो के नम्बर	कारण
1	3/1, 19, 4/1 से 3, 12, 13, 5/1	3/1, 19, 4/1 से 3, 12, 13, 5/1 से 2, 6/5, 6, 8	परियोजना प्रबन्धक, चित्तौडगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना की पी.पी.आर. 7 में टंकण की त्रुटि से 4 मैक्रो/माईक्रो जुड़ने से रह गये थे।

उपरोक्त संशोधन से परियोजना का क्षेत्रफल/लागत भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति अनुसार ही यथावत हैं।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक
दिनांक: 29.10.15

कमांक एफ20(1-87)निजभूस/पी.एफ.सी./2015/9757-9768
प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान रिवर बेसिन एवं वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग अथारिटी, राज. जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग, ब्लॉक-11 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली।
3. जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ़।
4. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन/आई.डब्ल्यू.एम.पी.) निदेशालय जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौडगढ़।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय जयपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, जिला परिषद, चित्तौडगढ़।
8. लेखाधिकारी, जिला परिषद, चित्तौडगढ़।
9. सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए. पंचायत समिति भोपालसागर चित्तौडगढ़।
10. ए.सी.पी. निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


अतिरिक्त निदेशक(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)